सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 10, रविवार, शाके 1942- नवम्बर 1, 2020	
	Kartika 10, Sunday , Saka 1942- November 1, 2020	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 31, 2020

संख्या प.1(1)न्याय/2020:-लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (सन् 2012 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 32) की धारा 28 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (सन् 2006 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त उक्त अधिनियमों के अधीन दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित विशेष न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है, जिनका बैठक का स्थान कॉलम संख्या 3 एवं क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 के अनुसार होगा-

क्र.सं.	विशेष न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, संख्या 2, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरित किये गये प्रकरण

राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार भारवानी,

प्रमुख शासन सचिव।

6083

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।